

अपील संख्या 112/2013 (2013/00064) बउनवानी ओम
प्रकाश बनाम श्रीमती नौसर देवी वगैरह, आदेश दिनांक 16.
11.2018

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट की अपील में बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 11.12.2012 को विवादित आराजी बाबत् अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक विवादित आराजीयात के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें जाने एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने हेतु पाबंद किया गया एवं पेशी दिनांक 09.01.2013 नियत की गई। अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 11.12.2012 के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्राथमिक स्तर पर विचाराधीन हैं और प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी होनी शेष हैं तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना है। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम आदेश के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो वर्तमान में तलबी नोटिस अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्टस की तलबी हेतु नियत हैं। अपील में अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्टस की तलबी में समय व्यय होगा एवं अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं हैं। पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट (अस्थायी निषेधाज्ञा) का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक ग्राम दिलवाड़ा स्थित खसरा नम्बर 639, 486, 487, 504, 640, 648, 649/1, 649/2 की उभय पक्षकारान राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें एवं एक-दूसरे के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा का आदेश स्वतः निरस्त समझा जावें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।